

दि. 02/05/2026

सूचना

महाविद्यालय की सभी मैधावी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा संचालित PM विद्यालक्ष्मी योजना के अन्तर्गत उच्च शिक्षा के लिए ऋण (Education Loan) प्राप्त करने हेतु विशेष रूप से आर्थिक रूप से मैधावी छात्राएँ इस योजना का लाभ से सकती है।

- इस योजना के अन्तर्गत 3% ब्याज की दर से रू 10 लाख से अधिक का लोन ले सकते हैं, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय रू 08 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- छात्रा मैधावी होना चाहिए।
- आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
 - आधार कार्ड
 - पासपोर्ट साईज फोटो
 - 10th / 12th / अन्य परीक्षा की मार्कशीट
 - प्रवेश फॉर्म
 - आय प्रमाण पत्र
- आवेदन प्रक्रिया
 - विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर ऑनलाईन राजिस्ट्रेशन पर आवश्यक जानकारी भरें। अपनी पंसद के बैंक का चयन करें एवं आवेदन सबमीट करें।




प्राचार्य